न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़
उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)
UPHP010050002024

Sessions Case/822/2024
State of U.P. Vs. Jakiullah
सत्र परीक्षण संख्या 822/2024

सरकार बनाम जकीउल्ला
अर्न्तगत धारा 75,333,351(2) बी0एन0एस0,
7/8 पोक्सो एक्ट,
थाना– पिलखुवा , जिला–हापुड़।
मु0अ0सं0 356/2024

30.10.2025

पुकार कराई गई। पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त जकीउल्ला जेरे जमानत उपस्थित। अभियुक्त की ओर से प्रार्थनापत्र दि0 17.10.2025 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त मुकदमें में प्रार्थी भी जमानत हो चुकी है प्रार्थी ने दिनांक 15.09.2025 पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था, जिसका फाईल नं0 GZ1075801736025 है। जिसमे स्थानीय पुलिस द्वारा प्रार्थी के पासपोर्ट आवेदन में उक्त मुकदमें में दर्ज होने का एडवर्स रिपोर्ट लगा दिया गया है जिससे प्रार्थी का पासपोर्ट नहीं बन पाया। प्रार्थी कानून को मानने वाला व्यक्ति है न्यायहित में प्रार्थी के पासपोर्ट आवेदन में भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश सूचना संख्या– GSR 570 (E) दिनांक 25.08.1993 के अनुपालन में अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी किये जाने की याचना की गई है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण गंभीर है। पासपोर्ट जारी होने से बाल अपचारी के फरार होने की संभावना प्रबल है और माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार से फरार होने एवं समय पर उपस्थित न होने की संभावना है। अतः उपरोक्त प्रार्थना खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा यह प्रार्थनापत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उसके द्वारा दिनांक 15.09.2025 को पारापोर्ट के लिए आवेदन किया गया था। जिसमें स्थानीय पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज होने के कारण विपरीत रिपोर्ट लगा दी गई है जिससे कि उसका पासपोर्ट नहीं बन पा रहा है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने

Digitally signed by GYANENDER SINGH YADAV
Date: 2025.11.07 12:11:10 IST
Reason: order
Location: District and Sessions Court

की याचना की गई है। प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्त जकीउल्ला के विरूद्ध मु0अ0सं0 356/2024 अर्न्तगत धारा 75, 333, 351(2) बी0एन0एस0, 7/8 पोक्सो एक्ट, थाना पिलखुवा , जिला–हापुड़ पर पजीकृत किया गया जिसमें बाद विवेचना विवेचक द्वारा अपराध आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है तथा न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया जा चुका है तथा पत्रावली वर्तमान में साक्ष्य हेतु नियत है । साक्षीगण के विरूद्ध समन जारी है ।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा विधि व्यवस्था **सपना उर्फ सपना चौधरी बनाम उ0प्र0राज्य तथा अन्य (2024 AHC LKO 28406)** में यह अवधारित किया गया है कि **"अभियुक्त का विदेश जाने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 तथा 19(1)(जी) के अर्न्तगत व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का भाग है तथा न्यायालय द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र दिये जाने पर कोई विधिक प्रतिबन्ध नहीं है ।"** ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त के हक में अनापत्ति प्रमाणपत्र सशर्त निर्गत किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत है ।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त जकीउल्ला की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दि0 17.10.2025 इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि –

1 सम्बन्धित पासपोर्ट अधिकारी भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश सूचना संख्या– GSR 570 (E) दिनांक 25.08.1993 के अनुपालन में अभियुक्त के पक्ष में पासपोर्ट जारी करने की तिथि से एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए पासपोर्ट निर्गत नहीं करेंगे ।

2. अभियुक्त जिस अवधि के लिए भारतीय परिक्षेत्र में नही रहेगा , उस समय वह अपने अधिवक्ता के माध्यम से वाद की कार्यवाही में सहभागिता करेगा तथा साक्षीगण के परीक्षण में सहयोग करेगा ।

3. अभियुक्त इस आशय की अंडरटेकिंग दाखिल करेगा कि न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जब भी व्यक्तिगत रूप से तलब किया जायेगा , तो अभियुक्त वाद कार्यवाही में सहभागिता करने हेतु व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा, तथा विदेश जाने से पूर्व न्यायालय की अनुमति प्राप्त करेगा।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनाक 28.11.2025 को पेश हो। साक्षी तलब हो ।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
हापुड।